फैक्स / महत्वपूर्ण

प्रेषक,
संख्या– 523 / 1–10–2015– 33(16) / 2015 टी०सी०

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक 08 जुलाई, 2015

विषयः अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत राहत वितरण हेतु विभिन्न लेखाशीर्षकों में स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत वितरण किये जाने के लिये प्रदेश के 73 प्रभावित जनपदों को अब तक शासन द्वारा कुल रू0 3446 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान उपलब्ध कराया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

2– शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत संबंधी आदेशों में ही व्यय का पूर्ण लेखा–जोखा रखने एवं संबंधित विवरण महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के दृष्टिगत अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत दो **लेखाशीर्षक–"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टसर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" तथा लेखाशीर्षक–"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टसर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–04–दैवी आपदा से प्रभावित किसानो को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता–42–अन्य व्यय"** में अलग–अलग धनराशियॉ स्वीकृत की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2015 को कोषवाणी पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कतिपय जनपदों यथा–मैनपुरी, इटावा, बांदा, जौनपुर, बलिया, सहारनपुर, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, बस्ती सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, बहराइच, बाराबंकी, कुशीनगर, बदायू तथा फतेहपुर द्वारा टी0आर0–27 से भी धनराशियॉ आहरित किये जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई है।

3– यह उल्लेख करना है कि वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के उपरांत महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय में मुख्य लेखाशीर्षकवार व्यय किये गये धनराशि के आंकड़ों का पुर्नमिलान कराया जाना होता है और यदि विभाग के आंकडे महालेखाकार के आंकड़ों से भिन्न होते है तो उनका तत्काल समाधान भी किया जाना होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या–51 के उपरोक्त संदर्भित लेखाशीर्षकों में शासन द्वारा काफी बड़ी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है जिसका जनपदों द्वारा कोषागार से आहरण कर वितरण किये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2015 में कोषागार से आहरित धनराशि का पूर्ण विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर (Microsoft Excel Sheet) पर माह दिनांक 10 जुलाई, 2015 तक शासन को तथा राहत आयुक्त के ईमेल–relief_commissioner@yahoo.com उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

जनपद / कोषागार का नाम –			प्रारूप–1
क0 सं0	लेखाशीर्षक	कोषागार का बाउचर संख्या एवं दिनांक	आहरित धनराशि रू0 में
1	2	3	4
अप्रैल 2015	2245-05-800-03-00-42		
मई 2015	2245-05-800-03-00-42		
जून 2015	2245-05-800-03-00-42		
	योग		

जनपद / कोषागार का नाम –			प्रारूप–2
क0 सं0	लेखाशीर्षक	कोषागार का बाउचर संख्या एवं दिनांक	आहरित धनराशि रू0 में
1	2	3	4
अप्रैल 2015	2245-05-800-04-00-42		
मई 2015	2245-05-800-04-00-42		
जून 2015	2245-05-800-04-00-42		
	योग		

5– उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि शासन से स्वीकृत धनराशि के व्यय का त्रैमासिक विवरण अगले माह की 10 तारीख तक नियमित रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव